5

मजदूरी

प्रस्तावना

5.1 इस समय भारत में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के लिए कोई सदृश तथा व्यापक मजदूरी नीति नहीं है । संगठित क्षेत्र में मजदूरी का निर्धारण आपसी समझौते के आधार पर किया जाता है । असंगठित क्षेत्र में, जहां श्रम का शोषण किया जा सकता है, जहां श्रम ठीक तरह संगठित नहीं होता तथा जहां कोई प्रभावी सौदेकारी शक्ति नहीं होती, वहां केन्द्र तथा राज्य दोनों को ही सरकारों द्वारा अपनी-अपनी अधिकारिता के अधीन न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अंतर्गत अनुसूचित रोजगारों में मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित की जाती है । अधिनियम नियोक्ताओं को समय-समय पर ऐसी निर्धारित की गई न्यूनतम मजदूरी कर्मकारों को अदा करने के लिए बाध्य करता है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

5.2 आठवीं स्थायी श्रम समिति की सिफारिशों पर कतिपय रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करने की व्यवस्था करने के लिए 11.4.1946 को केन्द्रीय विधायी परिषद में न्यूनतम मजदूरी विधेयक पेश किया गया । न्यूनतम मजदूरी विधेयक भारतीय डोमिनियन विधान मंडल द्वारा पारित कर दिया गया तथा 15 मार्च, 1948 से प्रवृत्त हुआ । अधिनियम के तहत अधिनियम की अनुसूची में शामिल रोजगारों की मजदूरी की न्यूनतम दरों का निर्धारण संशोधन करने के लिए राज्य तथा केन्द्र दोनों सरकार "समुचित सरकारें" है । न्यूनतम मजदूरी दरों में, विशेष भत्ते (परिवर्ती महंगाई भत्ता) जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ा हुआ है, भी शामिल है, जिसमें अप्रैल तथा अक्तूबर में अर्थात वर्ष में दो बार संशोधन किया जाता है । केन्द्रीय सरकार तथा चौबीस राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने भी परिवर्ती महंगाई भत्ते को न्यूनतम मजदूरी के एक घटक के रूप में अंगीकृत कर लिया है । केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्र के अंतर्गत व्याप्त रोजगारों के लिए अकुशल कर्मकारों के संबंध में निर्धारित/संशोधित मजदूरी की दरें सारणी 5.1 में दर्शाई गई हैं ।

राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी

5.3 1985 में आयोजित 28वें राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में सिफारिश की गई है कि राष्ट्रीय मूल निर्वाह मजदूरी स्तर को बढ़ाया जाए और उससे कम मजदूरी निर्धारित न की जाए चाहे कार्य प्रकृति, नियोजन प्रकृति तथा अन्य कारक अलग-अलग ही क्यों न हो । न्यूनतम मजदूरी में असमानता के कारण केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय मूल जीवन निर्वाह स्तर की न्यूनतम मजदूरी की धारणा अपनाई तथा इसे 1996 से 35 रुपये प्रतिदिन पर निर्धारित किया । यह 1991 में राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों तथा मूल्य-स्तर में अनुवर्ती वृद्धि पर आधारित था ।

5.4 बढ़ते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने 1998 में न्यूनतम मजदूरी 40 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से तय की थी, जिसे बढ़ाकर 1.12.1999 से 45 रुपये और 1.9.2002 से 45 रुपये से बढ़ाकर 50/- रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है । केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर 1.02.2004 से राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी में संशोधन करते हुए इसे बढ़ाकर 66/- प्रतिदिन कर दिया गया है । माननीय केन्द्रीय श्रम मंत्री ने सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों से अनुरोध किया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी अनुसूचित रोजगारों में मजदूरी की निर्धारित/संशोधित दरें रु. 66/- प्रतिदिन से कम न रहे ।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का प्रवर्तन

5.5 केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन न्यूनतम मजदूरी का प्रवर्तन केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के माध्यम से किया जाता है । के.औ.सं.तं (सी आई आर एम) द्वारा प्रवर्तन के मामलों की स्थिति निम्न सारणी में दर्शाई गई है ।

केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सी आई आर एम) द्वारा वर्ष 2003-2004 के दौरान मजदूरी कानूनों के प्रावधानों का प्रवर्तन

क्र.सं.	अधिनियम का नाम	किए गए निरीक्षणों की संख्या	परिशोधित अनियमितताएं	आरम्भ किए गए अभियोजन	कितने दोष सिद्ध किए गए	दाखिल किए गए दावे

1	2		3	4	5	6	7
1	मजदूरी संदाय अधिनियम,1936						
	i)	खानें	4197	57385	1290	1225	5
	ii)	रेलवे	1182	7800	-	-	1
	iii)	हवाई परिवहन	47	638	31	3	--
2	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948		15212	186549	5260	3094	3956

5.6 राज्य क्षेत्र में प्रवर्तन राज्य तंत्र द्वारा सुनिश्चित किया जाता है । वर्ष 2002-2003 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रवर्तन की स्थिति सारणी 5.2 में दर्शाई गई है । सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में कुछ संशोधनों का परीक्षण करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की है ताकि इसके प्रावधानों को श्रमिकों के लिए और अधिक हितकर बनाया जा सके ।

मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936

5.7 मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 को उद्योग में नियोजित कर्मकारों की मजदूरी की अदायगी को विनियमित करने तथा उनके लिए अवैध कटौतियों तथा/अथवा मजदूरी की अदायगी में अनुचित देरी के विरूद्ध एक त्वरित एवं प्रभावी उपचार सुनिश्चित करने के लिए पारित किया गया था । 1000 से कम कर्मचारियों को नियोजित करने वाले उद्योगों की दशा में मजदूरी की अदायगी की निर्धारित तिथि माह की सातवीं तारीख है ।

मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2002 की स्थिति

5.8 रुपये 1600/- प्र.मा. की वर्तमान मजदूरी सीमा काफी समय पूर्व वर्ष 1982 में निर्धारित की गई थी और तब से धन के मूल्य ह्ास के कारण इसकी अनुप्रयोज्यता में कमी आई है । इसे ध्यान में रखते हुए मजदूरी सीमा को रु. 6500/- तक बढ़ाने के साथ-साथ इसमें कछेक संदेहों/कमियों को हटाए जाने हेतु “मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2002” नामक एक विधेयक दिनांक

16.5.2002 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था । तत्पश्चात् यह विधेयक श्रम एवं कल्याण संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा गया है । स्थायी समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ वैधानिक विधि के बजाय अधिसूचना के माध्यम से मजदूरी सीमा में आवधिक परिशोधन करने की सिफारिश की है । मंत्रालय के विधि एवं न्याय मंत्रालय के परामर्श से श्रम एवं कल्याण संबंधी स्थायी समिति की अधिकतर सिफारिशों को मान लेने का निर्णय लिया है और तद्नुसार इस विधेयक में अधिकाधिक संशोधन तैयार कर लिया गया है । इस विषय पर मंत्री मंडलीय नोट प्रस्तुत करने हेतु तैयार है ।

मणिसाना मजदूरी बोर्ड

5.9 सरकार ने सितंबर 1994 में जस्टिस राजकुमार मणिसाना सिंह की अध्यक्षता में दो मजदूरी बोर्डों का गठन किया - उनमें से एक कार्यरत पत्रकारों और दूसरा समाचार पत्रों तथा समाचार एजेंसियों के गैर-पत्रकार कर्मचारियों के लिए था । मजदूरी बोर्डों ने 25.7.2000 को अपनी अंतिम सिफारिशें सरकार को पेश की । सरकार ने इन सिफारिशों को कुछ गौण संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया है और सरकार के निर्णयों को भारत सरकार के राजपत्र (असाधारण) में क्रमशः 5.12.2000 तथा 15.12.2000 को अधिसूचित किया गया था ।

5.10 सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से मजदूरी बोर्डों की सिफारिशों को क्रियान्वित करने हेतु प्रभावी कदम उठाने के लिए कहा गया है । उन्हें विशेष रूप से हिदायत दी गई है कि मणिसना मजदूरी बोर्ड के अधिनिर्णयों को तत्वरित तथा प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने हेतु त्रीपक्षीय समितियों/कार्यान्वयन प्रकोष्ठों का गठन किया जाए और तिमाही आधार पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएँ । अधिनिर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए श्रम एवं रोजगार सलाहकार की अध्यक्षता में केन्द्रीय स्तर पर एक अनुवीक्षण समिति का गठन भी किया गया है । समिति की दिनांक 8.3.2002, 13.11.2002, 6.7.2003 और 28.1.2004 को चार बैठकों का आयोजन किया गया, जिनमें यह निर्णय लिया गया कि अधिनिर्णयों के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) अपने क्षेत्रीय श्रम आयुक्तों के माध्यम से राज्य सरकारों के संपर्क में रहें जिसके फलस्वरूप अनुपालन में व्यापक सुधार आया है । यह निर्णय भी लिया गया है कि केन्द्रीय अनुवीक्षण समिति उन राज्यों को दौरा करेगी जहाँ अधिनिर्णय का कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं है । अधिनिर्णय के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए दौरे का प्रथम दौर आसाम और बंगाल के लिए 10-12 जुलाई, 2003 के दौरान निर्धारित किया गया था ।

5.11 राष्ट्रीय श्रम आयोग (एन.सी.एल) ने सिफारिश की है कि किसी भी सांविधिक या अन्य मजदूरी बोर्ड द्वारा किसी भी उद्योग के कामगारों की मजदूरी की दरें निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है । इस मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि कार्यरत पत्रकारों और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा शर्तें) तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1955 के अंतर्गत मजदूरी बोर्ड के गठन की वांछनीयता के संबंध में और विचार-विमर्श किया जाए ।

बोनस संदाय अधिनियम, 1965

5.12 बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में कर्मचारियों को बोनस के भुगतान की व्यवस्था है । जैसा कि अधिनियम में परिभाषित किया गया है । अधिनियम के अनुसार "कर्मचारियों" का अर्थ उन कर्मचारियों से है (प्रशिक्षुओं के अतिरिक्त) जो कि किसी उद्योग में कुशल अथवा अकुशल, हाथ से होने वाले काम, पर्यवेक्षी, प्रबंधकीय, प्रशासनिक, तकनीकी अथवा लिपिकीय कार्य करते हैं तथा जिन्हें मेहनत या प्रतिफल के रूप में प्रतिमाह 3500 रुपये तक वेतन अथवा मजदूरी मिलती है । तथापि, अधिनियम की धारा 12 के अनुसार, जिन कर्मचारियों को प्रतिमाह 2500 रुपये से अधिक मजदूरी मिलती है, उनके बोनस की गणना 2500 रुपये प्रतिमाह पर की जाएगी । अधिनियम की धारा 2 (13) तथा 12 के अन्तर्गत निर्धारित की गई उपर्युक्त वेतन सीमा में अंतिम संशोधन दिनांक 9.7.95 को घोषित एवं दिनांक 1.4.93 को जारी बोनस संदाय (संशोधन) अधिनियम, 1995 नामक अध्यादेश द्वारा किया गया ।

5.13 पात्रता सीमा को 3500/- रुपए से बढ़ाकर 5000/-रुपए करने और गणना की अधिकतम सीमा को 2500/- रुपए से बढ़ाकर 3500/- रुपए करने के लिए बोनस संदाय अधिनियम 1965 में संशोधन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इसी बीच, दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसमें पात्रता और बोनस की गणना की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर क्रमशः 7500/- रुपए प्रतिमाह और 3500/-रुपए प्रतिमाह करने की सिफारिश की गई है। राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में इस मामले की नए सिरे से जांच की जा रही है, क्योंकि निजी क्षेत्र के अतिरिक्त बोनस के लाभ केन्द्र ओर राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (केन्द्र व राज्य दोनों) और स्वायत्त संगठनों के कर्मचारियों को दिए जाने होंगे जिससे सरकारी कोष पर एक बढ़ा वित्तीय बोझ

पड़ेगा इसमें निहित प्रक्रिया और संबंधित वित्तीय परिणामों को देखते हुए फिलहाल इस अधिनियम में संशोधन करने के लिए कोई निश्चित समयावधि बता पाना संभव नहीं है। बोनस के भुगतान से संबंधित वास्तविक वित्तीय भार की गणना करने की दृष्टि से, सार्वजनिक उद्यम विभाग और व्यय विभाग से सूचना मंगाई गई है। सभी राज्य/संघ शासित सरकारों से राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के अनुसार, बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव पर अपने विचार भिजवाने का अनुरोध भी किया गया है।

सारणी 5.1

न्यूनतम मजदूरी का राज्य-वार ब्यौरा

31.1.2004 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	केन्द्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित नियोजनों की संख्या	प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी की रेंज (रु. में)	
			न्यूनतम	अधिकतम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	केन्द्रीय क्षेत्र (i) कृषि (ii) पत्थर तोड़ने और पत्थर का चूरा करने वाली पत्थर खानें (iii) अन्य अनुसूचित नियोजन	 1 1 43	 90.05 72.97 56.44	 90.05 72.97 56.44
2.	आन्ध्र प्रदेश	65	52.00	96.38
3.	अरूणाचल प्रदेश	25	39.87	42.11
4.	असम	67	50.00	63.00
5.	बिहार	74	45.18	64.62
6.	छत्तीसगढ़	36	52.87	79.13
7.	गोवा	20	60.00	125.00
8.	गुजरात	52	50.00	99.20
9.	हरियाणा	47	83.31	83.31
10.	हिमाचल प्रदेश	24	60.00	60.00
11.	झारखंड	61	64.73	64.73
12.	जम्मू व कश्मीर	18	45.00	45.00
13.	कर्नाटक	64	30.50	91.50
14.	केरल	40	67.14	169.04
15.	मध्य प्रदेश	36	54.56	82.58

16.	महाराष्ट्र	67	45.00	169.04
17.	मणिपुर	15	66.00	66.00
18.	मेघालय	24	50.00	50.00
19.	मिजोरम	3	84.00	84.00
20.	नागालैंड	36	50.00	50.00
21.	उड़ीसा	83	52.50	52.50
22.	पंजाब	60	82.65	82.65
23.	राजस्थान	39	60.00	70.65
24.	सिक्किम	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 सिक्किम राज्य में गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या : 1270(ई) दिनांक 31.10.2003 द्वारा लागू किया गया है।		
25.	तमिलनाडु	65	52.15	125.20
26.	त्रिपुरा	12	50.00	53.00
27.	उत्तर प्रदेश	65	58.00	105.07
28.	उत्तराचंल	62	58.00	106.31
29.	पश्चिम बंगाल	55	62.42	203.71
30..	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6	100.00	124.42
31.	चंडीगढ़	44	100.00	100.00
32.	दादरा व नगर हवेली	43	50.00	80.00
33.	दमन व दीव	71	50.00	60.00
34.	दिल्ली	29	107.10	107.10
35.	लक्षद्वीप	3	52.00	52.00
36.	पांडिचेरी	4	45.00	65.00

सारणी 5.2

विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 के प्रवर्तन के संबंध में विवरण।

2002-2003

क्र. सं.	राज्य का नाम	किए गए निरीक्षणों की संख्या	पाई गई अनियमितताएं	अनियमितताओं में सुधार	दायर मामलों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या	दण्ड दिए गए व्यक्तियों की संख्या	जुर्माना की गई राशि (रुपयों में)
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)	(IX)
1.	आन्ध्र प्रदेश	82578	1672	1160	21939	12978	973	464315
2.	असम	3441	1173	1173	शून्य	शून्य	शून्य	
3.	बिहार	242319	48801	39042	17243	1770	-	शून्य
4.	गोवा	763	923	199	22	11	102	5305817
5.	गुजरात	109395	112373	59184	39	3	5389	उपलब्ध नहीं
6.	हिमाचल प्रदेश	1059	901	631	2	1	374	118480
7.	जम्मू एवं कश्मीर	984	389	249	1	1	142	4900
8.	केरल	7680	9742	-	25	73	191	188000
9.	मध्य प्रदेश	1949	1218	632	74	94	403	298785
10.	महाराष्ट्र	160954	166223	132441	31	34	182	417170
11.	पंजाब	6236	102	-	99	87	200	75900

12.	राजस्थान	11076	760	315	223	354	217	37200
13.	सिक्किम	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 सिक्किम राज्य में ग्रह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्याः1270 (ई) दिनांक द्वारा दिनांक 31.10.2003 द्वारा लागू किया गया है।						
14.	तमिलनाडु	153301	10990	1246	2570	2808	2566	1731587
15.	त्रिपुरा	219	105	शून्य	51	शून्य	शून्य	3000
16.	उत्तर प्रदेश	378	उपलब्ध नहीं	9	-	-	-	-
17.	उत्तरांचल	4000	1198	499	257	196	278	44375
18.	पश्चिम बंगाल	14591	3058	2744	2	4	183	80213
19.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	150	150	-	23	49	41	6200
20.	चण्डीगढ़	254	181	-	97	57	91	34300
21.	दमन व दीव	392	7	7	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
22.	दिल्ली	7534	4616	4030	628	593	488	475050
23.	पांडिचेरी	5170	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

नोट : (1) अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, दादर व नगर हवेली और लक्षद्वीप से शून्य सूचना प्राप्त हुई है

(2) छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, मणिपुर और उड़ीसा राज्यों से सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।